रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 1975/भाद्र 10, 1897
No. 243] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 1975/BHADRA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIATE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August 1975

G.S.R. 478(E).—The following rules which have been made by the Joint Commitee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by clause (f) of sub-section (3) of the said section, and have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of that section, are published for general information:—

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (ADDITIONAL FACILITIES) RULES, 1975

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Members of Parliament (Additional Facilities) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1975.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954;

(b) "additional facilities" means such of the housing, postal, water, electricity constituency and secretarial facilities as are not covered by any other rule.

3. **Amount in lieu of additional facilities.**—A member shall be entitled to receive, in lieu of the additional facilities, allowances at the rate of rupees five hundred per mensem.

4. **Additional facilities to be in addition to other allowances.**—For the avoidance of doubts, it is hereby declared that the additional facilities admissible under these rules shall be in addition to, and not in derogation of, any other allowance or facility admissible (whether in cash or in kind) under any other rule for the time being in force.

[No. F. RS. 8/75-MSA]

B. N. BANERJEE,
Secretary-General.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29, अगस्त, 1975

सा० का० नि० 478 (अ).—निम्नलिखित नियमों को, जिन्हें संसद् सदस्यों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति ने, उक्त धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ब) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, बनाया है, और जिन्हें उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा यथापेक्षित, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने अनुमोदित और पुष्ट कर दिया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है :—

संसद् सदस्य (अतिरिक्त सुविधाएं) नियम, 1975

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम संसद् सदस्य (अतिरिक्त सुविधाएं) नियम, 1975 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 1975 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से संसद् सदस्यों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1954 अभिप्रेत है ;

(ख) "अतिरिक्त सुविधाओं" से ऐसी आवास, डाक, जल, विद्युत्, निर्वाचन क्षेत्र संबंधी और सचिवीय सुविधाएं अभिप्रेत हैं जो किसी अन्य नियम के अन्तर्गत नहीं आती है।

3. **अतिरिक्त सुविधाओं के बदले में रकम.**—हर सदस्य, अतिरिक्त सुविधाओं के बदले में, प्रति मास पांच सौ रुपये की दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

4. **अतिरिक्त सुविधाएं अन्य भत्तों के अतिरिक्त होंगी.**—शंकाओं से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त सुविधाएं, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य भत्ता या सुविधा के (चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में) अतिरिक्त होंगी, न कि उसको अल्प करने के लिए।

[सं० आर० एस० 8/75—एम० एस० ए०]

बी० एन० बनर्जी,
महासचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975